



केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX  
[केडर नियंत्रण प्राधिकारी CADRE CONTROLLING AUTHORITY]

हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE  
जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004  
GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEER BAGH, HYDERABAD-500004

फा.स. C.No.II/03/02/2019-Estt-स्थापना.

दिनांक Date: 24-01-2019

सेवा में	To
प्रधान आयुक्त/ आयुक्त	The Principal Commissioner/ Commissioner,
सीमाशुल्क & केंद्रीय कर	Customs & Central Tax,
सिकिंडराबाद/ रंगारेड्डी/ मेडचल/	Secunderabad/Rangareddy/Medchal/
हैदराबाद-I लेखापरीक्षा/ हैदराबाद-II लेखापरीक्षा/	Hyderabad-I Audit/ Hyderabad-II Audit/
सीमाशुल्क/ अपपेयल्स-II/अपपेयल्स-III/	Customs/Hyd Appeals-I & II/Visakhapatnam/
विसखपट्टनम/ गुंटूर/तिरुपति/	Guntur/Tirupati/ Vijayawada Customs(P)/
विजयवाड़ा सीमाशुल्क (पी)/ लेखापरीक्षा, गुंटूर/	Audit Guntur/ Appeals, Guntur Comm'te
अपपेयल्स, गुंटूर आयुक्तालय	HYDERABAD/VISAKHAPATNAM/GUNTUR
हैदराबाद/ विसखपट्टनम/गुंटूर/तिरुपति/	/TIRUPATI/VIJAYAWADA.
विजयवाड़ा।	

महोदय/महोदया Sir/Madam,

विषय : स्था. सीमाशुल्क & केंद्रीय कर के अधीक्षक के संवर्ग में पदस्थापना एवं स्थानांतरण - सामान्य वार्षिक अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण -2019 - अभ्यावेदन माँगना - संबंधित।

Sub:- Estt - Posting and Transfers in the cadre of Superintendent of Customs & Central Tax - Annual General Inter Zonal Transfers 2019 - Calling for representations - Regarding.

\* \* \* \* \*

सीमाशुल्क & केंद्रीय कर, हैदराबाद व विशाखापट्टनम क्षेत्र के अधीक्षक के संवर्ग में वर्ष 2019 के लिए सामान्य वार्षिक अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया स्थानांतरण नीति 2015 के अनुसार की जानी है।

The exercise for Annual General Inter - Zonal transfers for the year 2019 in the common cadre of Superintendent of Customs & Central Tax of Hyderabad and Visakhapatnam Zones is to be conducted as per the Transfer Policy 2015.

2. इस संबंध में सीमाशुल्क & केंद्रीय कर, हैदराबाद क्षेत्र /विशाखपट्टनम क्षेत्र में कार्यरत इच्छुक अधीक्षक अपने अभ्यावेदन निर्धारित संलग्न प्रपत्र में दिनांक 15-02-2019 तक उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

Superintendents of Customs & Central Tax, Hyderabad Zone/ Visakhapatnam Zone willing to make a representation in the matter may do so **by 15-02-2019** in the prescribed proforma attached herewith, through proper channel.

3. आपसे निवेदन है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यरत अधीक्षकों में इसे परिचालित करें और दिए गए विवरण की उचित जांच व प्रमाणीकरण के बाद एक ही बंच में प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर, हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय, हैदराबाद को दिनांक **15-02-2019** तक भेज दें।

Any representation received shall be forwarded in one bunch to the office of the Principal Commissioner, Central Tax, Hyderabad GST Commissionerate, Hyderabad after due verification and Certification of the particulars by ACAO/Assistant Commissioners latest **by 15-02-2019**.

3.1 उचित माध्यम के अलावा अधिकारियों से प्राप्त अग्रिम प्रतियों या अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**Advance copies or representations submitted other than through proper channel by the officers will not be entertained.**

4. प्रस्तावित वार्षिक साधारण स्थानांतरण निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है:

The proposed AGT shall be governed by the following conditions:

i) एजीटी, 2019 के लिए अंतिम दिनांक 30-06-2019 है।

The cutoff date for AGT, 2019 is 30-06-2019.

ii) जो भी अधीक्षक वर्तमान में वैजाग क्षेत्र में कार्यरत हैं और वैजाग क्षेत्र में ही बनाए रखे गए थे और वार्षिक सामान्य स्थानांतरण 2019 में हैदराबाद क्षेत्र में ही प्रयावर्तित होना चाहते हैं, वे उचित माध्यम द्वारा अभ्यावेदन दें ऐसा न होने पर यह समझा जाएगा कि वे आगे अब भी वैजाग क्षेत्र में ही कार्य करना चाहते हैं।

Superintendents who were retained in Visakhapatnam Zone during previous AGTs and now want to be posted to Hyderabad Zone in ensuing AGT 2019, shall also submit a specific representation through proper channel failing which it will be considered that they still wish to continue in Visakhapatnam Zone.

iii) जिन अधिकारियों का स्थानांतरण वैजाग क्षेत्र में होना बाकी है केवल वैजाग क्षेत्र ही आबंटित होगा और कोई खास आयुक्तालय नहीं। वैजाग क्षेत्र में विनिर्दिष्ट पदस्थापना उस क्षेत्र के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।

Officers who are due for transfer to Visakhapatnam Zone will be allotted to Visakhapatnam Zone only and not for any particular Commissionerate. Specific postings within Visakhapatnam Zone will be issued by the competent authority of that Zone.

iv) ऐसे अधीक्षक, जो बिना उचित अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित हैं, उनको विसखपटनम क्षेत्र से हैदराबाद क्षेत्र में स्थानांतरण के विषय पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी अधिकारी के अनधिकृत अवकाश का विवरण पृथक रूप से नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अग्रहित किया जाना है।

Superintendents who are absent without proper sanction of leave will not be considered for transfer from Visakhapatnam Zone to Hyderabad Zone. Details of unauthorized absence of such officer, if any, may be forwarded separately.

v) अति अनुकंपा आधार के मामले अत्यंत चिकित्सीय रिपोर्टें या अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिकार क्षेत्र के आयुक्त के सिफारिश सहित ही भेजें।

Cases of extreme compassionate grounds must be sent along with latest medical reports or any other relevant supporting documents, with specific recommendation of the jurisdictional Commissioner.

vi) सी सी एस (सी) नियमावली, 1964 के नियम 20 और फा. सं. C.50/54/2014-Ad.II दिनांक 20-06-2014 से जारी बोर्ड के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सभी अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि किसी भी उच्च अधिकारी को, अपनी सेवा से संबन्धित मामलों में, स्थानांतरण व तैनाती के मामलों सहित, किसी भी राजनैतिक और बाहरी रूप से प्रभावित करने का प्रयास करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

All the officers may be informed that as per Rule 20 of CCS (C), Rules 1964 and the Board's office memorandum vide F.No.C.50/54/2014-Ad.II dated 20-06-2014, bringing or attempting to bring any political or other outside influence to bear upon any superior authority to further his interest in respect of matters pertaining to his service, including in respect of the matters related to transfer & posting would amount to misconduct.



- vii) निर्धारित तारीख के बाद उचित माध्यम से प्राप्त आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।  
**Applications, even if forwarded/received through proper channel, after due date will not be entertained.**

यह प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर, हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Principal Commissioner of Central Tax, Hyderabad GST Commissionerate.

भवदीय Yours faithfully

संलग्न Encl: यथोपरि As above



(पी.डी.पूली P.D.PULI)

अपर आयुक्त (का व सत)

ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)

**प्रतिलिपि Copy submitted to :**

1. प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क & केंद्रीय कर, हैदराबाद क्षेत्र.  
The Principal Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Hyderabad Zone.
2. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क & केंद्रीय कर, हैदराबाद/वैजग क्षेत्र.  
The Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Visakhapatnam Zone.



(पी.डी.पूली P.D.PULI)

अपर आयुक्त (का व सत)

ADDITIONAL COMMISSIONER (P&V)

**प्रति Copy to :**

1. अपर आयुक्त, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, मुख्य आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद क्षेत्र। मुख्य आयुक्त के कार्यालय के अधिकारियों में परिचालित करने के अनुरोध सहित।  
The Joint Commissioner, Customs & Central Tax, Chief Commissioner's Office, Hyderabad Zone with a request to circulate among officers of Chief Commissioners office.
2. उप/सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद-1 आयुक्तालय।  
All the Deputy / Asst. Commissioner, Customs, Central Excise & Service Tax of Hyderabad GST Commissionerate.
3. हैदराबाद आयुक्तालय के सभी अनुभाग प्रमुख (मुख्य आयुक्त कार्यालय सहित) संबन्धित अपर / संयुक्त आयुक्त के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश सहित।  
All Section Heads of Hyderabad GST Commissionerate - With a direction to submit the applications through the Additional/Joint Commissioner concerned.
4. महासचिव, वर्ग 'ख', (राजपत्रित)(कार्यकारी) अधिकारी संगठन, हैदराबाद/गुंटूर/वैजग/तिरुपति।  
The General Secretary, Group 'B' (Gazetted)(Executive) Officers Association, Hyderabad/Guntur/Visakhapatnam/Tirupati
5. महासचिव, अ जा / अ ज जा संगठन, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद/गुंटूर/वैजग/तिरुपति।  
The General Secretary, SC/ST Association, Customs & Central Excise, Hyderabad/ Guntur/Visakhapatnam/Tirupati
6. महासचिव, अ ज जा संगठन, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर, हैदराबाद।  
The General Secretary, ST Officers Welfare Association, Customs & Central Excise, Hyderabad.

**सामान्य वार्षिक स्थानांतरण 2019 के लिए प्रोफॉर्मा**  
**PROFORMA FOR ANNUAL GENERAL TRANSFER 2019**

1. अधिकारी का नाम Name of the officer :
2. जन्मतिथि Date of Birth:
3. गृहनगर Home Town:
4. शैक्षिक योग्यता Educational Qualification:
5. वर्ग Category :
6. जिस तिथि से वे कार्यरत हैं  
Date of joining (DOJ) :  
i) क्षेत्र Zone in which working & DOJ :  
ii) आयुक्तालय Commissionerate in which working & DOJ :
7. वर्तमान कार्यस्थल Present place of working:
8. किस क्षेत्र के लिए स्थानांतरण चाहिए:  
Zone for which Transfer is requested :
9. अधीक्षक के संवर्ग में हैदराबाद/ वैजाग क्षेत्र व अन्य में अंतिम 5 वर्ष पदस्थापना का विवरण  
History of postings in Hyderabad /Visakhapatnam Zone and Others (in the cadre of Superintendents in last 5 years)

क्र. Sl.No.	आयुक्तालय Commissione rate	स्थान Station	फोरमेशन Formation	टेबल/फील्ड Sensitive/ Non Sensitive	पद Post Held	दिनांक Date	
						कब से From	कब तक To

10. अवकाश विवरण (आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर)  
Leave particulars (except Casual Leave):  
During the last three years:
11. अनधिकृत अवकाश, यदि कोई हो तो  
Details of the unauthorized Leave, if any
12. क्या वैजाग क्षेत्र में निर्धारित कार्यकाल पूरा किया है  
Whether the officer has completed the prescribed tenure  
in Visakhapatnam Zone
13. क्या स्थानांतरण नीति, 2015 के पैरा 2(i)  
के तहत छूट चाहते हैं?  
Whether seeking relaxation under para 2(i)  
of the Transfer Policy, 2015

हाँ/नहीं

Yes/No

हाँ/नहीं

Yes/No

14. तैनात के कारण (कृपया बताए)  
Reasons for transfer (please specify), :

15. **वचन Undertaking**

**(अधिकारी द्वारा कम कार्यकाल की सुविधा प्राप्त करने के मामले में )**

**(In case of the officer who wants to avail the facility of reduced tenure)**

में, \_\_\_\_\_ वर्तमान में वैजाग क्षेत्र में अधीक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, दिनांक 30-06-2019 तक वैजाग क्षेत्र में निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं कर सकूँगा। मैं अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण नीति, 2015 के पैरा 2(i) के अनुसार कम कार्यकाल की सुविधा लेना चाहूँगा। यदि वार्षिक सामान्य स्थानांतरण, 2019 के दौरान हैदराबाद क्षेत्र में मेरे स्थानांतरण की स्थिति में, मैं स्थानांतरण के लाभों का दावा नहीं करूँगा/करूँगी और एक वर्ष के लिए टेबल तैनाती के लिए तैयार रहूँगा/रहूँगी।

I, \_\_\_\_\_ presently working as Superintendent at Visakhapatnam Zone, will not be completing prescribed tenure in Visakhapatnam zone as on 30-06-2019 but would like to avail the facility of reduced tenure as per the Para 2(i) of the Inter Zonal Transfer Policy, 2015. In case my request for transfer to Hyderabad Zone during AGT 2019 is accepted, I will not claim Transfer benefits and also agree to work in non-sensitive posting for a period of one year.

दिनांक Date:

स्थान Station :

अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the Officer

16. उपरोक्त विवरण संबन्धित व्यक्ति की सेवा पुस्तिका से जाँच की गई और सही पाया गया। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस क्षेत्र में उनके कार्यकाल के दौरान उनसे ली गई छुट्टियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से स्वीकृत की गई हैं और कोई भी अनधिकृत अनुपस्थिति नहीं है।

The particulars furnished by the officer are verified with his/her Service Book and found to be correct. It is also certified that the leave availed by the officer during his/her stay at this Zone was duly sanctioned by competent authority and there was no unauthorized absence.

[नोट: अनधिकृत अवकाश का विवरण, यदि कोई हो तो, पृथक रूप से दिया जाए]

[Note: Details of unauthorized absence, if any, shall be enclosed separately]

दिनांक Date :

स्थान Station:

सहायक आयुक्त/ सहायक मुख्य

लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

Signature of the Asst. Commissioner /  
Assistant Chief Accounts Officer

अग्रेषित करने वाले अधिकारी की टिप्पणी और सिफ़ारिशें।

Forwarding officer's comments and recommendations.

दिनांक Date :

स्थान Station:

अग्रेषित करने वाले अधिकारी के सील सहित हस्ताक्षर

Signature of the forwarding officer with Seal.

